राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 635/2025

कमल किशोर भारद्वाज —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 05.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से अखअ, अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। अपीलार्थी की पत्नी पार्किशन न्यूरोलॉजिकल बीमारी से ग्रसित है तथा अपीलार्थी की पत्नी का पूरा शरीर कंपन करने लगता है। अपीलार्थी की पत्नी एलडीसी के पद पर सांगानेर में कार्यरत होने के बावजूद भी ड्यूटी पर नहीं जा पाती है। अपीलार्थी की पत्नी की देखभाल स्वयं अपीलार्थी को ही करनी पड़ती है। मेडिकल दस्तावेज अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है। माननीय अधिकरण ने अपील संख्या 2143/2024 डॉ. देवेन्द्र कुमार बनाम चिकित्सा विभाग में दिनांक 01.07.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा समान तथ्यों पर स्थगन आदेश जारी किया है। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। अपीलार्थी की पत्नी एलडीसी के पद पर पंचायत समिति सांगानेर में पदस्थापित है। आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को अपने पति के पदस्थापन के नजदीक पदस्थापित

करने की बाजय और अधिक दूरी पर पदस्थापित किया गया है, जबकि राज्य सरकार ने अनेक परिपत्रों में यह निर्धारित किया है कि राज्य सरकार में कार्यरत पति–पत्नी को यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थापित रखना चाहिए।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय सहायक खनिज अभियंता, कोटपूतली में ही कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से निवेदन किया कि आलौच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकता की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अतः खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली से अखअ, अजमेर में कर दिया गया। अपीलार्थी की पत्नी पार्किशन न्यूरोलॉजिकल बीमारी से ग्रसित है तथा अपीलार्थी की पत्नी का पूरा शरीर कंपन करने लगता है। अपीलार्थी की पत्नी की चिकित्सकीय स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य